भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4027
उत्तर देने की तारीख 12 अगस्त, 2026

राष्ट्रीय सार्वजनिक वाई-फाई पारिस्थितिकी तंत्र

4027. श्री धर्मवीर सिंह:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने देश भर के शैक्षाणिक संस्थाओं, ग्रामीण बाजारों और जन सेवा केंद्रों में राष्ट्रीय सार्वजनिक वाई-फाई पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने पर विचार किया है;
(ख) क्या इस पहल का उद्देश्य डिजिटल समावेश में सुधार करना और डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय उद्यमियों और सेवाप्रदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अतिरिक्त सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख): भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक वाई-फाई ईकोसिस्टम मुख्य रूप से प्रधान मंत्री के वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रचालित होता है। पीएम-वाणी स्कीम देश भर में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 के उद्देश्यों के अनुरूप पीएम-वाणी फ्रेमवर्क का उद्देश्य एक सुदृढ़ डिजिटल संचार अवसंरचना निर्मित करना है। यह फ्रेमवर्क सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) को न्यूनतम विनियामक निरीक्षण के साथ सार्वजनिक डेटा

कार्यालय एग्रीगेटर्स (पीडीओए) के एकत्रीकरण के तहत वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की अनुमति देता है, इस प्रकार यह स्थानीय उद्यमियों को डिजिटल परिवर्तन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय उद्यमियों और सेवा प्रदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने पीएम-वाणी फ्रेमवर्क में निम्नलिखित नीतिगत इन्टरवेंशन किए हैं

(i) लागत में कटौती करने और सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) की व्यवहार्यता को बढ़ावा देने की दृष्टि से नियमित एफटीटीएच के उपयोग, एकल बैकहॉल के लिए बहुविध एक्सेस बिंदुओं के एकत्रीकरण और द्वितीयक उपकरणों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) आधारित प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।

(ii) व्यवहार्यता बढ़ाने की दृष्टि से मोबाइल डेटा को ऑफलोड करने और प्रयोक्ताओं को प्रचार या ब्रांडिंग सामग्री भेजने की अनुमति दी गई है।

(iii) होम और बिजनेस वाईफाई को पीएम-वाणी में शामिल होने की अनुमति दी गई है, पीडीओ के बीच आपसी रोमिंग की अनुमति दी गई है और सर्विस सेट आइडेंटिफायर (एसएसआईडी) की नेमिंग का सुकर रूप से पता करने के लिए मानकीकृत किया गया है।

इसके अलावा, लागत को कम करने और व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने पीडीओ के लिए रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर एक टैरिफ आदेश जारी किया है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता पीडीओ को 200 मेगा-बिट प्रति सेकंड तक की अधिकतम गति के साथ सभी खुदरा एफटीटीएच ब्रॉडबैंड प्लान की प्रस्तुत करें, जो संबंधित उपभोक्ता ब्रॉडबैंड टैरिफ के दोगुने से अधिक नहीं हो।

(घ): पीएम-वाणी स्कीम के तहत, दिनांक 30.6.2026 तक भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों में क्रमशः कुल 228 और 51 सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट पंजीकृत हैं। पीएम-वाणी स्कीम के तहत, सरकार की प्राथमिक भूमिका नीति सक्षमता है।
